सोलर लालटेन प्राप्त करने हेतु दो प्रकिया निर्धारित है:–

1. जिला प्रशासन (उपायुक्त/उप विकास आयुक्त) कार्यालय के माध्यम से :–

- प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति का ज्रेडा द्वारा निर्धारित प्रपत्र (**प्रपत्र संलग्न:अनु0–1**) में आवेदन स्थानीय पंचायत सेवक/मुखिया के द्वारा अनुशंसा के पश्चात् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में लाभुक अंशदान (रु0 594/– का बैंक ड्राफ्ट DIRECTOR, JREDA, RANCHI) के साथ जमा करायेंगे। तदनुसार प्रखण्ड कार्यालय के द्वारा जिला कार्यालय के माध्यम से लाभुकांश की सूची एवं लाभांश ज्रेडा में प्राप्त होने पर जिला प्रशासन के निदेशानुसार उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड कार्यालय में आपूर्ति की जायेगी।

- जिला कार्यालय में आपूर्ति किये गये सोलर लालटेन को प्रखण्डों/अन्य विभाग के बीच वितरण का दायित्व जिला कार्यालय का होगा। वितरण पश्चात् संबंधित जिला कार्यालय से लाभुकों के हस्ताक्षर सहित उन्हें वितरित की गई सोलर लालटेनों की प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में पंजी के पृष्ठों की छायाप्रति ज्रेडा कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला कों सहयोग करेंगे ताकि सोलर लालटेन की वितरण में तेजी लाया जा सके।

2. जिलों में अवस्थित अक्षय ऊर्जा शॉप के माध्यम से :–

1. मुखिया/उपमुखिया/पंचायत सेवक/वार्ड सदस्य/सरकारी विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विहित आवेदन प्रपत्र (**प्रपत्र संलग्न:अनु0–2**)पर अनुशंसा के आधार पर ही सोलर लालटेन का वितरण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आवेदन प्रपत्र के साथ लाभुक पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स जमा करने पर ही वितरण किया जायेगा।
3. एक परिवार को एक ही सोलर लालटेन देय होगा।
4. सोलर लालटेन के वितरण में पारदर्शिता के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. लाभुक द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ रु0 594/– का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, ज्रेडा (DIRECTOR, JREDA) के पदनाम से रॉची में भुगतेय हो, जमा करने पर ही सोलर लालटेन की आपूर्ति की जाय। इस कार्य के लिए रु0 100/– अलग से प्रति लालटेन लाभुकों द्वारा शुल्क देय होगा।
7. वर्तमान में रॉची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज, दुमका, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, धनबाद, चतरा एवं जमशेदपुर जिला में अवस्थित अक्षय ऊर्जा शॉप के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

नोट:– विशेष जानकारी के लिए श्री एम0पी0सिंह, विद्युत कार्यपालक अभियंता, ज्रेडा (मोबाईल संख्या–9135035831) या ज्रेडा कार्यालय के दूरभाष संख्या–0651–2491161 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Arvind 30/07/14

परियोजना निदेशक,
ज्रेडा, रॉची।